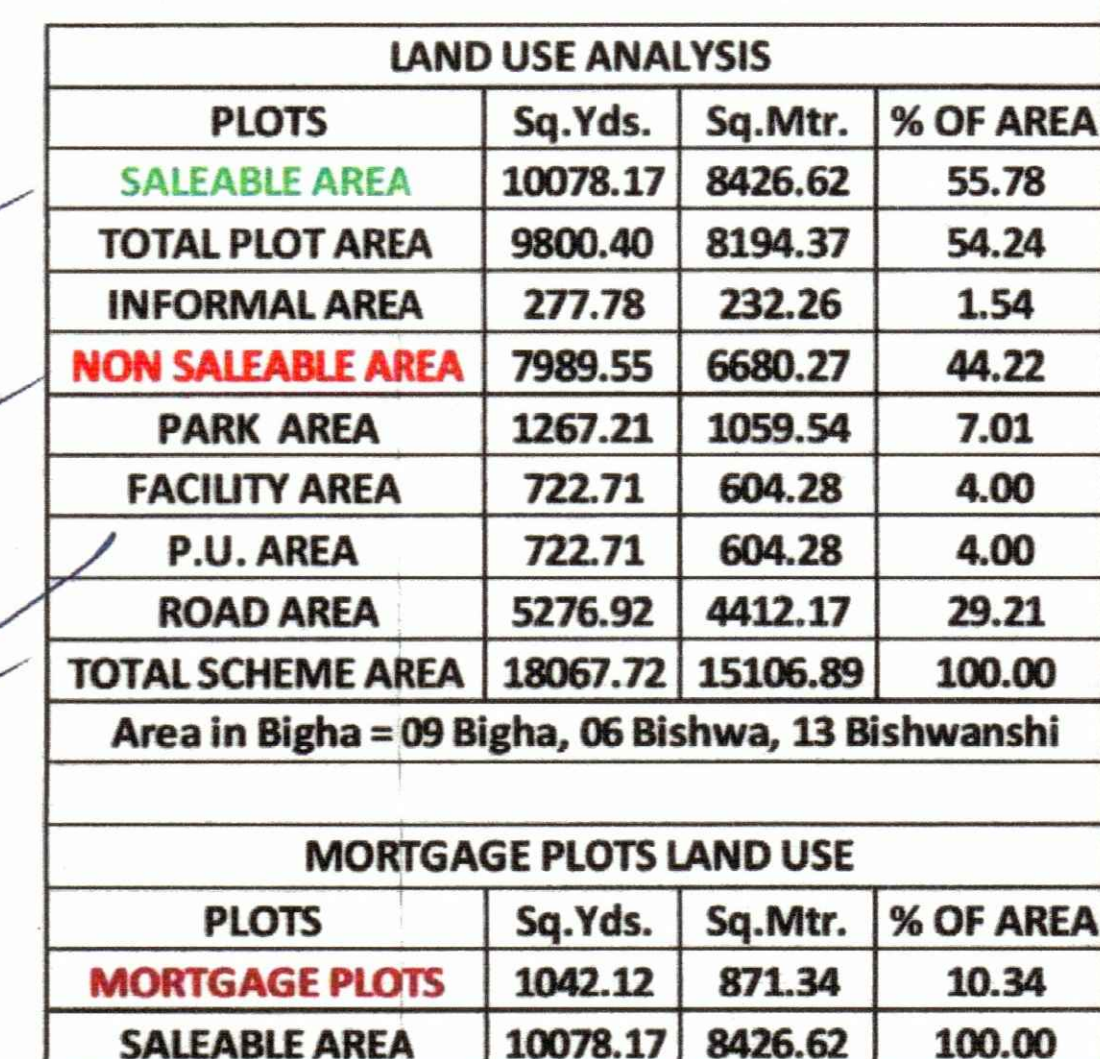


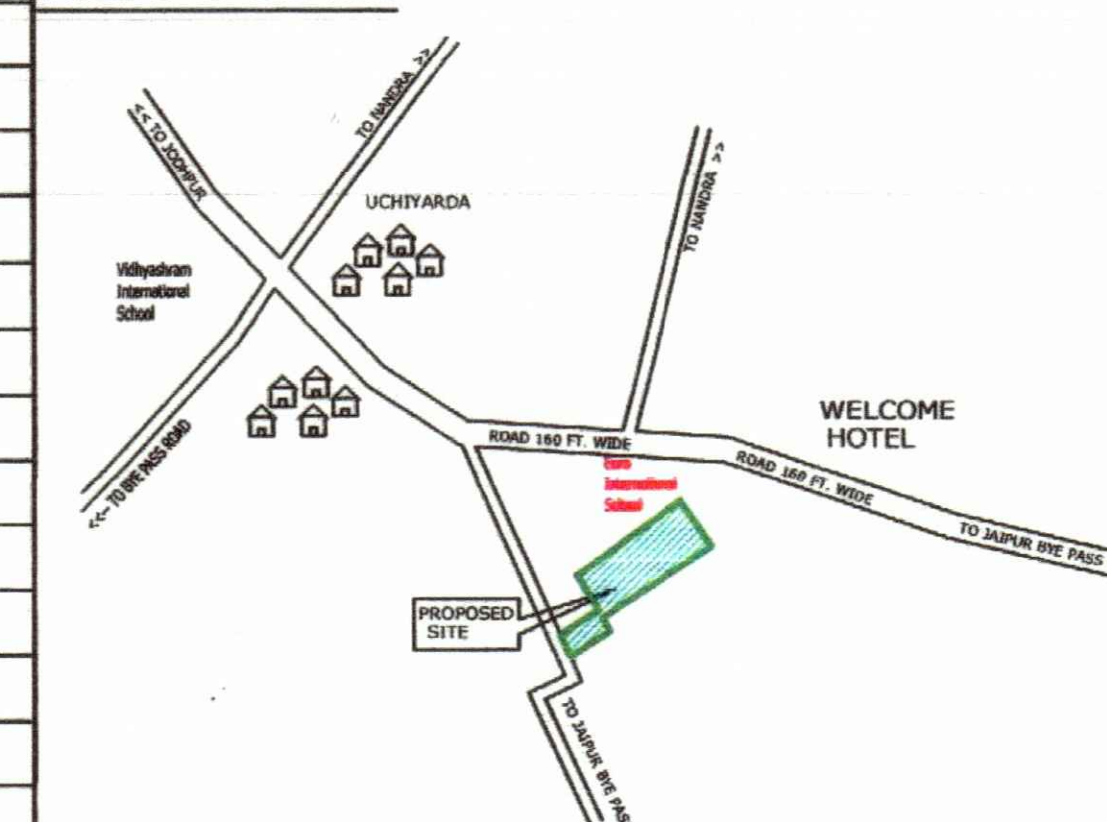
LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 133/3,134/1,134/3 VILLAGE UCHIARADA AT JODHPUR



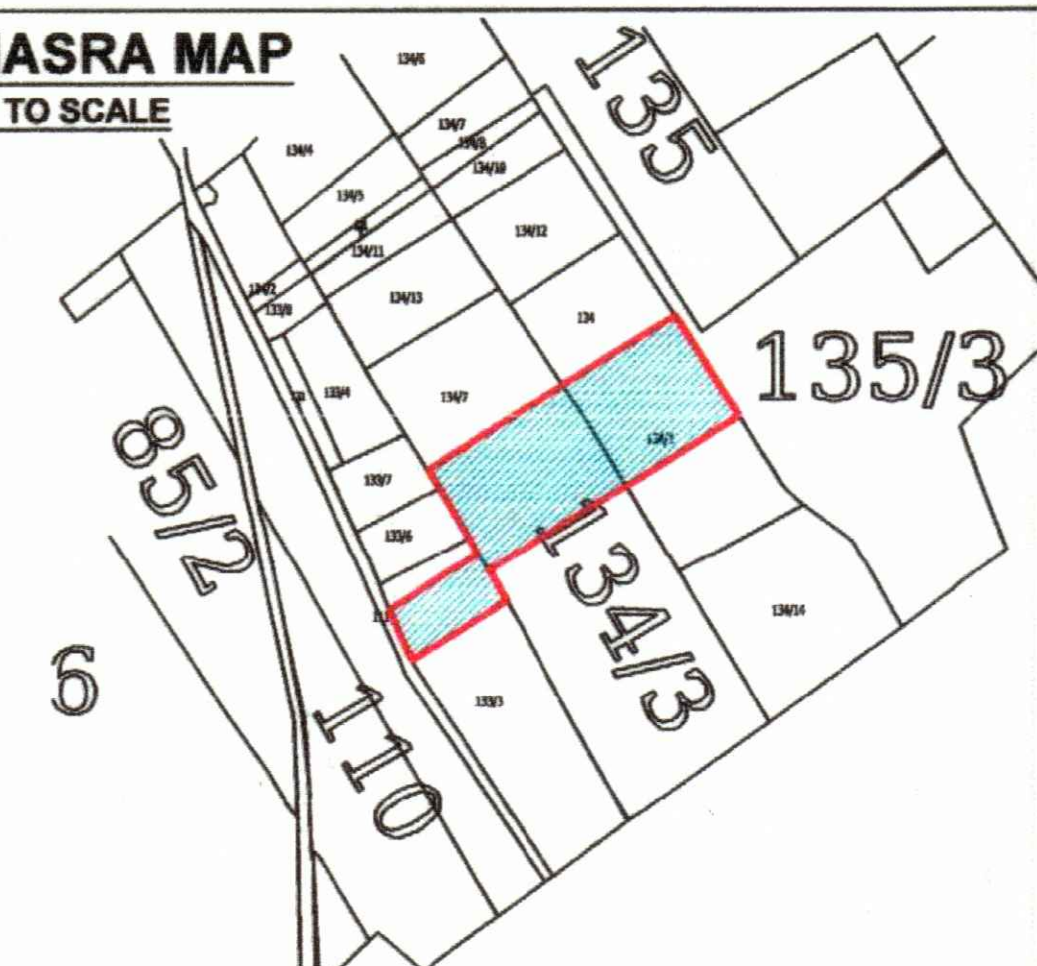
MORTGAGE PLOTS	
P.NO.	Sq.Mtr.
22	92.90
23	92.90
24	92.90
25	92.90
38	97.21
52	135.00
63	121.16
64	146.36
TOTAL	871.34

P.N.O.	Sq.Yds.	Sq.Mtr.
1	379.12	316.99
2	357.78	299.15
3	342.08	286.03
4	194.48	162.61
5	194.43	162.57
6	188.75	157.82
7	194.44	162.58
8	111.11	92.90
9	111.11	92.90
10	111.11	92.90
11	111.11	92.90
12	111.11	92.90
13	111.11	92.90
14	111.11	92.90
15	111.11	92.90
16	111.11	92.90
17	111.11	92.90
18	111.11	92.90
19	111.11	92.90
20	111.11	92.90
21	111.11	92.90
22	111.11	92.90
23	111.11	92.90
24	111.11	92.90
25	111.11	92.90
26	111.11	92.90
27	111.11	92.90
28	111.11	92.90
29	111.11	92.90
30	126.17	105.49

NOTE :- PROVISION AS PAR POINT NO. 3.5.1. OF TOWNSHIP POLICY - 2024 FOR ELECTRICITY SUBSTATION/TRANSFORMERS, SEWERAGE TREATMENT PLANT, OVERHEAD/UNDERGROUND WATER TANK, SOLID WASTE COLLECTION CENTER, TELECOM INFRASTRUCTURE AND STREET GARBAGE CONTAINER WILL BE PROVIDED IN P. U. AREA AS PER FUTURE REQUIREMENTS



KHASRA MAP
NOT TO SCALE



ROAD 40 FT. WIDE

Site plan showing the layout of the Informal site. The site is 20' wide and 50' deep. It is divided into two columns of four units each. The left column is labeled 'INFORMAL' and the right column is labeled 'S-1' through 'S-8'. The units are arranged in a grid. The site is bounded by a 50' wide area on the right and a 20' wide area on the left. The units are 10' wide and 10' deep.

49	111.11	92.90
50	111.11	92.90
51	106.81	89.31
52	161.46	135.00
53	122.22	102.19
54	152.78	127.74
55	152.78	127.74
56	152.78	127.74
57	183.33	153.29
58	183.33	153.29
59	152.78	127.74
60	152.78	127.74
61	152.78	127.74
62	122.22	102.19
63	144.91	121.16
64	175.05	146.36
65	155.20	129.76
66	155.20	129.76
67	186.24	155.72
68	217.28	181.67
TOTAL	9800.40	8194.37

एजेन्डा संख्या 03 (राजधानी सं. 2236A) (सैद्धांतिक दिनांक 11.06.2026)		जो-01
1.	आयोजना नाममात्रमा प्रारम्भिक/दिनांक	399/15.04.2026
2.	आयोजनाका शान्त	श्री गणेशपुर पुत्री श्री मंगलाश्रम, श्री सैरापुर पुत्री श्री मंगलाश्रम, श्री किरान्तिपुर पुत्री श्री मंगलाश्रम, श्री गिरिवाटसिंह पुत्री श्री होरीसिंह उजियारवा
3.	राज्य नाम	13/3, 134/1 र 134/3
4.	वस्तु नाम	4.1221 हैक्टरमा रहेको 15107 हैक्टरमा अवस्थित 15107 वर्गमीटर
5.	आयोजना भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर मा)	आवासीय योजना
6.	प्राप्ति द्वारा प्राप्त ग्या उपयोग	
7.	निर्णय- समाप्ति द्वारा एजेन्डा र चर्चाको का अवलोकन किया जाने। विचार-विचार उपरान्त निर्णयित शाही को साथ ले-आउट प्लान अनुसार निर्माण किये जानेको सम्पूर्ण लियत ग्या :-	
1.	नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको एजेन्डाका द्वारा पूर्वमा कि कानिउट निर्माण आवश्यक निर्माण को सम्पूर्ण लियत सङ्कत नामागिधारका 30 हैक्टर प्राप्त गर्ने। सङ्कत नामागिधारका हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति श्री भूमि मे ले जाँडिमा के पक्ष मे निबुद्ध समिति करवाये जाने।	
2.	टाउनशिप पोलिसी-2024 के प्राधान्यको को समावेश कर निगममुद्रासरा संशोधन करार हुने ले-आउट प्लान जारी किया जाये।	
3.	आवर्तित भूमि के नामागिधार/ले-आउट प्लान पर नियमनुसार सैद्धांतिक का अंमल करे हुने जारी किया जाने की सुनिश्चितता की जाये।	
4.	राजधान्य टाउनशिप पोलिसी-2024 व उक्त के काम मे सम्म-सम्म पर जारी दिना-निर्देशी अनुसार आवश्यक शुल्क एम्प निर्माण की पालना की सुनिश्चितता हुने/आवश्यक द्वारा जारी जाये।	
5.	मुख्यधर्म की उन आवास योजना-2015 के प्राधान्यनुसार 2 हो के सार होलकाली को योजना मे नियमनुसार विकल्प योध्य होलकाली को प्रशिक्षण होलकाली सारत जोडन सार के लीज अथवा ले-आउट प्लान मे नियमनुसार निर्माण हुने जारी किया जाये।	
6.	प्रावर्तित योजना मे टाउनशिप पोलिसी द्वारा निर्माण सार रस्ते गये बूझको मे आवश्यक/ विकासकर्ता को साथ-यत्र सार किया जाने की सुनिश्चितता जोन सार की जाये।	
7.	रस अधिनियम-2017 के तहत राजधान्य लियत परदेर रसुमेदारी अधिनियम (रेरा) द्वारा निर्माण 14.03.2023 परदेर सार मे सम्म-सम्म पर जारी आदेशको अनुसार जारी खातेकोरी, निर्माता विकासकर्ता की प्लान प्लॉटिंग योजना (Plotted Development Project) मे परदेर जारी करणे से परदेर उन योजना का रस मे परिवर्तन करवाया जाने अनिवार्य हो। उक्त की सुनिश्चितता एउ प्रस्तावित योजना मे उक्त एउ विद्युत अनुमति की सुनिश्चितता आधी सार के सार कर किया जाने का सम्म-यत्र प्लान दिया किये जाने की सुनिश्चितता हुने उपपद्धत द्वारा जारी जाये।	
8.	अनुमति निर्माण मे दायर्य गये सुविधा होके, सङ्कत, प्राप्ति दिने निर्माणकर्ता की कार्यवाही होके, सङ्कत नामागिधार को निर्माण नही होके, प्लान दिखेला जारी किये जाने से पूर्व मही पर निर्माण होके की स्थिति मे प्लान लिज जाने एउ सैद्धांतिक हो के किये गये निर्माण को एक एक की अवधि विनियम अनुसार जोडनुप विकास सुविधामे से भवन नामागिधार निर्माण करवाये जाने।	
9.	प्रावर्तित भूमि पर निर्माण कार्य करवाये से पूर्व भवन विनियम अनुसार जोडनुप विकास सुविधामे से भवन नामागिधार निर्माण करवाये जाने।	

वरिष्ठ नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक आयोजना
प्रोधपुर विकास प्राधिकरण
प्रोधपुर

27/26
अ. प्र. ज. न.
नोधपुर विकास प्राधिकरण
नोधपुर

फाल्गुनी

विश्वनाथ

शेखराम

Биринчи

6) 80000